-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 04 अभियुक्त को थाना बबेरू पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.07.2025 को थाना बबेरू पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पर हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गौरतलब हो कि दिनांक 12.07.2025 थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम परास के रहने वाले प्रमिल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह ने लाठी-डंडों से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। इस संबंध में घायल व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 14.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्तों को तिन्दवारी रोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मयंक तिवारी उर्फ सतेन्द्र पुत्र शिव प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पखरौली थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. प्रियांक कोरी पुत्र अनिल कुमार निवासी गायत्री नगर बबेरू थाना बबेरू जिला बाँदा।
3. गिरिराज पुत्र प्रकाश चन्द गुप्ता निवासी प्रभाकर नगर बबेरू कस्बा थाना बबेरू जिला बाँदा।
4. इरफान पुत्र मुस्ताक निवासी चमरौड़ी तिन्दवारी रोड कस्बा व थाना बबेरू जनपद बाँदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 226/25 धारा 127(2)109/352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0चौकी पखरौली श्री अरविन्द कुमार मौर्या
2. कां0 सूर्यकान्त
3. कां0 सुजान